

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री रवि राठौड़, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिताणुकलां, आमेर जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलावतिया जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरुद्ध श्री रवि राठौड़ द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 575/2021 श्री रवि राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 575/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री रवि राठौड़ को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में दिनांक 25.02.2021 तक सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 15 दिवस के भीतर निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार, अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी माता के लकवाग्रस्त होने, पिता की रूग्णता एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि प्रेमपुरा, कुचामन जिला नागौर/राउमावि बेसरोली, मकराना जिला नागौर/राउमावि हुडिया, मकराना जिला नागौर अथवा राउमावि रानीगांव, मकराना जिला नागौर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन करते हुए उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री रवि राठौड़, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिताणुकलां, आमेर जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलावतिया जिला भीलवाड़ा) का पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए उनका समायोजन राउमावि रानीगांव, मकराना जिला नागौर (220089) में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/रवि राठौड़/575/2021/148 दिनांक: 09.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर/भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक नागौर/भीलवाड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री रवि राठौड़, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राउमावि सलावतिया जिला भीलवाड़ा।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)